न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः– 29/2022

1. जतन कंवर पत्नी भंवरसिंह
2. धीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
3. भवानी सिंह पुत्र भंवर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौडजी झुन्झुनूं राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार महोदय बहैसियत लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
2. अशोक पुत्र मालसिंह
3. बचन कंवर पत्नी मालसिंह
4. महेन्द्र सिंह पुत्र मालसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी झुन्झुनूं राज.

5. संतोष देवी पत्नी नाथूराम जाति मेघवाजल निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.
6. श्रीमान् बैंक मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुढागौड़जी
7. श्रीमान् बैंक मैनेजर आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटैड शाखा टोडी
8. श्रीमान् बैंक मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 23.01.2023

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया भू. अभि. नि. गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 515 पुराना 389 की भूमि के खसरा न. 61 कुल रकबा 2.11 है0 बारानी 2 अवस्थित है उक्त भूमि के कब्जाकाश्त खातेदार आवेदकगण संख्या 1 लगायत 3 है तथा उक्त भूमि पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि की पश्चिमी दिशा में भूमि खाता संख्या नया 619 पुराना 469 भूमि के खसरा न. 63 रकबा 0.85 है0 बारानी 2 अवस्थित है उक्त भूमि के अनावेदकगण खातेदार 2 लगायत 5 है तत्पश्चात इसी भूमि के पश्चिमी दिशा की ओर भूमि खसरा न. 64 रकबा 3.83 है0 गैर मुमकिन जोहड़ जो अनावेदक संख्या 1 की सरकारी भूमि है। आवेदकगण की भूमि खसरा न. 61 में आने जाने के लिए पश्चिमी दिशा की ओर सटी हुई भूमि इसी मौजा ग्राम की भूमि खसरा संख्या 63 जिनके खातेदार अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 है तथा दूसरी भूमि खसरा न. 64 रकबा 3.83 है0 जो गैर मुमकिन [illegible] अनावेदक संख्या 1 की सरकारी भूमि है तथा आवेदकगण की भूमि खसरा न. 61 में आने जाने के लिए अनावेदकगण की भूमि खसरा न. 63 व 64 में प्रस्तावित है जो प्रस्तावित रास्ते के लिए [illegible] भी दर्शाया गया है। भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:57 IST
Reason: SelfAttested

खसरा न. 64 रकबा 3.83 है0 गैर मुमकिन जोहड़ जो अनावेदक संख्या 1 की सरकारी भूमि है तथा राजस्थान सरकार की तरफ से भूमि धारक माननीय तहसीलदार महोदय के अधीन है जो आवेदन पत्र में अनावेदक संख्या 1 के रूप में संयोजित है जिसके बीच से एक मुख्य सड़क लीलों की ढाणी से भौड़की की मुख्य सड़क पर निकलती है तथा उक्त गैर मुमकिन जोहड़ में एक प्राचीन शक्ति माता का अलमहसुर मन्दिर अवस्थित है उक्त मन्दिर से एक पक्की डामरीकृत सड़क लीलों की ढाणी से भौड़की वाली सड़क से जुड़ी हुई है तथा उक्त मन्दिर की सड़क से आवेदकगण की भूमि कुछ ही दूरी पर स्थित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर खातेदार काश्तकारों के लिए किसी प्रकार का कोई भी रासता मौजूद नहीं है केवल उक्त भूमि पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है केवल भूमि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया तहसील गुढ़ागौड़जी के भूमि खसरा न. 63 रकबा 0.8500 है0 व भूमि खसरा न. 64 कुल रकबा 3.83 है0 गैरमुमकिन जोहड़ में से गुजरता है तथा आवेदकगण की भूमि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 की भूमि में से पश्चिमी दिशा की ओर सटी हुई भूमि है तथा आवेदकगण की भूमि के लिए आने जाने क लिए आवेदकगण इसी प्रस्तावित रास्ते से ही आते जाते हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण आवेदकगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आवेदकगण की भूमि की सिंचाई व अपने काश्त की उपज को मण्डी तक लाने ले जाने के प्रयोजन के लिए नया रास्ता भूमि खसरा न. 63, 64 में से दिलवाया जाना प्रार्थनीय है। आवेदकगण की भूमि में आने जाने के लिए तथा पशुओं के लिए चारा, कुंए के मोटर पम्प सेट, पाईप सेट इत्यादि व कृषि उपज मण्डी तक लाने ले जाने में आवेदकगण के पास केवल इसी प्रस्तावित रास्ता का विकल्प है इसके अलावा आवेदकगण के पास अपने जोत/अपने कृषि भूमिमय रहवास में पहुंचने के लिए आवेदकगण द्वारा मांग की गई रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है इस प्रकार आवेदकगण को आने जाने के लिए भूमि खसरा न. 63, 64 में से नया मार्ग सृजित करने के लिए आन्तयतिक आवश्यकता है। आवेदन पत्र में अनावेदक संख्या 6 लगायत 8 को राहिन बैंक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा उक्त पक्षकारों के विरुद्ध आवेदकगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम टोड़ी हल्का दुड़िया तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज. की सरहद में आवेदकगण की भूमि खसरा न. 61 में आवागमन के लिए 8 मीटर चौड़ा रास्ता अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 की भूमि खसरा न. 63, 64 के पश्चिमी सीमा की ओर नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड आम रास्ता दर्ज करने का आदेश माननीय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदक की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रकरण में अप्रार्थी सख्या 2 लगायत 5 ने जबाब प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 लगायत 11 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 कानूनी होने के कारण जवाब की मोहताज नहीं है। प्रार्थना पत्र की [illegible] 13 कानूनी होने के कारण जवाब की मोहताज नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या [illegible] की मोहताज नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तो अनावेदकगण 2 लगायत 5 को उज्र व ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार गुढागौड़जी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 20.10.2022 को प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर खातेदार काश्तकारों के किसी प्रकार का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है अर्थात प्रचलित नहीं है केवल उक्त भूमि पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है केवल भूमि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया तहसील गुढागौडजी के भूमि खसरा न. 63 रकबा 0.85 है0 व भूमि खसरा न. 64 कुल रकबा 3.83 गैरमुमकिन जोहड़ में से गुजरता है तथा आवेदकगण की भूमि अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 की भूमि से पश्चिमी दिशा की ओर सटी हुई भूमि है तथा आवेदकगण की भूमि के लिए आने जाने के लिए आवेदकगण इसी प्रस्तावित रास्ते से ही आते जाते रहते हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण आवेदकगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खसरा संख्या 64 रकबा 3.83 है0 जो गैर मुमकिन जोहड़ है, के अन्दर से एक ग्रेवल सड़क जो लीलों की ढाणी से भोड़की रोड़ तक जाती है इस प्रकार आवेदकगण की भूमि की सिंवाई व अपने काश्त की उपज को मण्डी में लाने ले जाने के प्रयोजन के लिए नया रास्ता भूमि खसरा न. 63, 64 में से दिलाया जाना प्रार्थनीय है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने बहस के दौरान अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र की उक्त सभी मदें स्वीकार है तथा आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तो अनावेदकगण 2 लगायत 5 को उज्र व ऐतराज नहीं है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जाचं रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम टोडी की सरहद में आवेदकगण की भूमि खसरा न0 61 में आवागमन के लिए अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 की भूमि खसरा 63, 64 की पश्चिमी सीमा की ओर से राजकीय रास्ता कायम करवाना चाहा । भूमि खसरा न0 63 अप्रार्थी न0 2 लगायत 5 की खातेदारी भूमि है जिसमे से राजकीय रास्ता किया जा सकता लेकिन भूमि खसरा न0 64 कि किस्म गै0मु0 जोहड़ है जो कि प्रतिबंधीत श्रेणी का है । भूमि खसरा न0 63 के खातेदारो को राजकीय रासता कायम करने पर कोई ऐतराज नही है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया की सरहद में स्थित आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 61 में आवागमन हेतु अनावेदक संख्या 2लगायत 5, के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 63 में सें तहसीलदार गुढागौडजी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में दर्शाया गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार गुढागौडजी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार गुढागौडजी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे/ जमीन के बदले जमीन दे तथा उक्त 4 मीटर चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 20.10.2022 मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी।

23/1/23

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/23

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:46:57 IST
Reason: SelfAttested